# न्यायालय भू–अभिलेख अधिकारी, चूरू कैम्प दान्दू
# प्रशासन गांवों के संग अभियान – 2021
# पीठासीन अधिकारी श्री अभिषेक खन्ना, आई.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या : 135 / 2021 दिनांकः– 20.10.2021

अनुवानी

राजस्थान सरकार बनाम मन्नीदेवी आदि

–: **आदेश** :–

तहसीलदार, चूरू द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 व नियम 58, 59, 60, 66, 86 राजस्थान भू–अभिलेख नियम 1957 मय दस्तावेजात् नकल जमाबन्दी, नकल नक्शा, सहमति पत्र, अनापत्ति प्रमाण पत्र सरपंच ग्राम पंचायत दान्दू, मौका रिपोर्ट पटवारी व भू–अभिलेख निरीक्षक, परिशिष्ट–'ए' एवं अभिशंषा तहसीलदार, चूरू का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन किया गया जिसके अनुसार रोही ग्राम दान्दू तहसील चूरू के खसरा नम्बर 340 / 265 में मौके पर रास्ता चालू है परन्तु राजस्व अभिलेख एवं राजस्व नक्शे में उक्त रास्ते का अंकन नहीं है। सम्बन्धित पटवारी हल्का ने अपनी मौका रिपोर्ट में मौके पर उक्त रास्ता काफी पुराने समय से चालू बताया है। साथ ही तहसीलदार, चूरू ने उक्त रास्ते को राजस्व अभिलेख में अंकित करने हेतु अपनी स्पष्ट अभिशंषा की है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय दस्तावेजात् का अवलोकन करने से यह परिलक्षित होता है कि ख.नं. 340 / 265 के चिपता हुआ कटानी रास्ता पहले से मौजूद है इसलिए नियमानुसार एक रास्ता मौजूद होते हुए सुविधा के लिए दूसरा रास्ता दिया जाना सम्भव नहीं है। अतः तहसीलदार, चूरू द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।

यह आदेश आज दिनांक 20.10.2021 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा से प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 कैम्प दान्दू में जारी किया गया।

20/10/21

( अभिषेक खन्ना आई.ए.एस. )
भू–अभिलेख अधिकारी, चूरू